न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

(5)

विविध वाद सं0–26/2022–23

कमांक एवं तिथि	खदेरन गंझु बनाम सतेन्द्र यादव वगै0	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

09/4/25

:–आदेश:–

प्रस्तुत अभिलेख का संधारण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–33 दिनांक–12.01.2023 से विविध अपील वाद सं0 137/2020–21 (कैलाश गंझु वगै0 बनाम रामजनम यादव एवं अन्य) में दिनांक–10.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में किया गया है।

अंचल अधिकारी कुन्दा द्वारा दिनांक–24.07.2020 को कुल 12 रैयतों की सुनवाई के उपरांत सभी राजस्व कागजातों का उल्लेख करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा को भेजा गया था।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा द्वारा विविध अपील वाद सं0 137/2020–21 में पारित आदेश निम्नवत है " उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस वाद में विधि सम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है। संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए भूमि से संबंधित कागजातों में से (खतियान रजिस्टर II एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए आदेश विधि सम्मत पारित करना सुनिश्चित करेगे, संबंधित रैयतो के लिए अलग अलग अभिलेख संधारित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अंचल अधिकारी, कुन्दा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

उक्त आदेश के आलोक में सभी रैयतो के नाम से अलग अलग अभिलेख संधारित कर संबंधित पक्षों को मुल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला के उपरांत संबंधित पक्षकार उपस्थित हुए और कागजातो की छायाप्रति दाखिल किया

Scanned with OKEN Scanner

गया।

प्रश्नगत भूमि मौजा कुशुम्भा के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 88 एवं 95 रकवा 5.75 ए0 है।

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में खाता सं0 01 गैरमजरूआ खास है। प्लॉट सं0 88 का कुल रकवा 35.70 ए0 है एवं प्लॉट 95 रकवा 36.30 ए0 जिसका किस्म जंगल दर्ज है।

आवेदक खदेरन गंझु द्वारा सुनवाई के क्रम में बतलाया गया कि उनके पूर्वज ललित एवं कनन गंझु के नाम से भुदान पर्चा द्वारा प्रश्नगत भूमि प्राप्त है। भुदान पर्चा में खाता अंकित नही है।

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन पंजी ॥ की सत्यापित प्रति की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राधिकार कॉलम में भूदान केश नं0 23/दिनांक–12.08.1970 अंकित है, प्राधिकार कॉलम में Cancelled लिखा हुआ है। प्रथम रसीद वर्ष 95–96 एवं दुसरी रसीद वर्ष 96–97 में निर्गत है। पंजी ॥ में पृ0सं0 अंकित नही है। आनलाईन के पृ0सं0 10/2 पंजी ॥ पर 3.30 ए0 उल्लेखित है। जबकि भूदान पर्चा में 3.70 ए0 भूमि उल्लेखित है।

प्रथम पक्ष की ओर से ऑफलाइन पंजी ॥ की पृ0सं0 29 की सत्यापित प्रति की छायाप्रति दाखिल की गई है, जिसमें भूदान केश न0 17/58–59 अंकित है। वर्ष 2013 में निर्गत एक मात्र ऑफलाईन रसीद दाखिल किया गया है। पंजी ॥ की पृ0सं0 31/1 उल्लेखित है, जबकि आनलाईन के पृ0सं0 29/1 उल्लेखित है। ऑफलाइन पंजी ॥ की पृ0सं0 29 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक ही व्यक्ति के लिखावट में वर्ष 62 से 70 तक का निर्गत रसीद का उल्लेख है।

आवेदक ललित गंझु के नाम से निर्गत भूदान पर्चा दाखिल किया गया है, उक्त भूदान पर्चा में ओवरराईटिंग किया गया है। प्रथम पक्ष के लिखित कथनानुसार ललित गंझु इनके चाचा है।

सुनवाई के क्रम में इनके द्वारा बतलाया गया कि चाचा जीवित नही है। बाल बच्चे उनके नही थे चाची भी बाहर चली गई, फलस्वरूप उक्त जमीन पर हमलोग खेती बारी कर रहे है। आगे कहा गया कि इनके दादा कनन गंझु को भी भूमि भूदान पर्चा से प्राप्त है। परन्तु भूदान पर्चा इनके पास उपलब्ध नही है। इससे स्पष्ट होता है कि एक ही भूदान

Scanned with OKEN Scanner

(7)

पर्चा के आधार पर दो बार बिना किसी सक्षम प्राधिकार के राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा मांग कायम कर रसीद निर्गत किया गया है, जिसकी मान्यता नही दी जा सकती।

द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया है कि उन्हे इस भूमि से कोई सरोकार नही है। कनन गंझु के नाम से वर्ष 2013 में निर्गत एक ऑफलाईन रसीद दाखिल किया गया है, ललित गंझु के नाम से निर्गत एक भी ऑफलाईन रसीद दाखिल नही किया गया है। दोनो के नाम से ऑनलाईन मांग कायम है।

सभी पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति एवं राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पषट होता है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास एवं भूमि का किस्म जंगल दर्ज है, जो प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत है।

प्रथम पक्ष का दावा भूदान पर्चा के आधार पर है, भूदान पत्र अधिनियम 1954 की धारा 11 के तहत दान पत्रों को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा संम्पुष्ट किये जाने से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नही कर पाये, ना ही फार्म M लगान निर्धारण का कागजात प्रस्तुत किए।

द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया है जो अभिलेख में संलंग्न है, कि उन्हे इस भूमि से कोई मतलब नही है।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा द्वारा भी राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए आदेश विधि सम्मत पारित करने का निदेश प्राप्त है।

उक्त निदेश के आलोक में झारखण्ड सरकार विभाग के पत्रांक–695 (5) रा0, दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक–2074/ रा0, दिनांक–13.05.2016 एवं पत्रांक–6144/ रा0, दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/ रा0, दिनांक–27.12.2017 के आलोक में निर्गत किये जा रहे रसीद एवं प्राप्त भूमि से संबंधित कागजातों की जांच समीक्षा/

B.L.R Act 1950 की धारा 41A के तहत की गई। जमाबंदी का प्राधिकार कॉलम सादा है, एवं यह जमाबंदी बिना कोई सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम हुई है यह जमाबंदी बिना कोई वाद सुनवाई के कायम हुई है। प्रथम पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी बिना भूदान पर्चा के सम्पुष्टि के बगैर राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा रसीद निर्गत कर दिया गया

Scanned with OKEN Scanner

(8)

है।

राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 द्वारा वन भूमि /जंगल/जंगल झाडी भूमि की नियमितिकरण/बंदोबस्ती हेतु प्रतिबंधित/वर्जित किया गया है। राजस्व विभाग के पत्रांक–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 एवं पत्रांक–6205/रा0 दिनांक–27.12.2017 से प्रतिवेदित चेक स्लिप के अनुसार जमाबंदी नियमितिकरण हेतु विचार किया गया, परन्तु भूमि का किस्म जंगल रहने के फलस्वरूप माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा WP(c) सं0 202/1995 में दिनांक–12.12.1996 को पारित आदेश अनुसार जंगल/ जंगल झाडी की भूमि की बंदोबस्ती/जमाबंदी नियमितिकरण नही किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक–6144/रा0,दिनांक–12.12.2017 से भी वन भूमि जंगल/जंगल झाडी को नियमितिकरण हेतु वर्जित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी संदिग्ध है, राज्य हित की क्षति कारित करने के लिए रैयत द्वारा अपने निजी हित साधने के लिए अवैध जमाबंदी कायम हुई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में B.L.R Act 1950 की धारा 41 के तहत मौजा कुशुम्भा के खाता सं0 01 प्लॉट नं0 88 एवं 95 रकवा 5.75 ए0 भूमि की जमाबंदी जो कनन गंझु के नाम से पंजी II के पृ0सं0 29/1 पर कायम है एवं ललित गंझु के नाम से ऑनलाईन पंजी II के पृ0सं0 10/2 पर कायम जमाबंदी को रदद् करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

9.4.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

9.4.25

अचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.04.25 12:57:09 +05:30
Location: 192.168.184.160

Scanned with OKEN Scanner